तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तमील में जारी हुए
	प्राप्त करने की पात्रता रखते थे अथवा नहीं ? इन तथ्यों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के परीक्षणोपरान्त उभयपक्ष के अभिवचनों/तर्को के विश्लेषण से ही संभव होगा, किन्तु इस दरम्यान यदि मौके की भौतिक प्रस्थिति में परिवर्तन होता है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी, जिसे रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः ग्राम पंचायत मोहराई तहसील जैतारण के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.12.2016 एवं उसकी पालना में पारित पट्टा संख्या 18 दिनांक 30.06.17 की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित किया जाता है तथा साथ ही अन्तरिम व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का सादिर किया जाता है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें। इसके अतिरिक्त तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये जाते है कि वे जैर निगरानी पट्टे की भूमि की मौका जांच कर मौका जांच रिपोर्ट तैयार कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु इस प्रार्थना पत्र एवं जैर निगरानी पट्टे की प्रति तहसीलदार जैतारण को तहरीर के साथ भिजवाई जावे। इस आदेश की सत्य प्रति नोटिस के साथ अप्रार्थीगण को प्रेषित की जावे। पत्रावली दिनांक 18.09.2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर, पाली	1157 14.8.18
18/9/18	वकलाय उप०। अप्रार्थी ग्राम पं० का नोटिस बाद तामील प्राप्त तह० से रिपोर्ट प्राप्त। पी. ओ. सा. बाहर पधारे है। पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 16/10/18 को पेश हो।	
16/10/18	वकलाय उप०। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 22/11/18 को पेश हो।	
22/11/18	श्रीमान पी ओ साहब चुनाव कार्यों में व्यवस्त होने से पत्रावली दिनांक 21.1.19 को पेश हो।	
21/1/19	वकलाय उप०। इस स्थगन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल निगरानी का निर्णय किया जा चुका है। इसलिए इस स्थगन प्रार्थना पत्र के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। स्थगन पत्रावली मूल निगरानी 59/2018 के संलग्न की जावे। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर पाली (राज.)	